इंटरपोल 'सिल्वर नोटिस'

सरोत: द हिंदू

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि नया **इंटरपोल 'सिल्वर नोटिस'** सीमा पार अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिये **पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLAT) की तुलना** में अधिक प्रभावी उपकरण है।

'सिल्वर नोटिस'

- इंटरपोल ने **'सिल्वर नोटिस' को 2023** में लॉन्च किया, जो **वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के परामर्श** के बाद शुरू हुआ था। यह **वर्ष 2025 तक चलने वाले पायलट चरण** का हिस्सा है।
    - इस पहल में **भारत सहित 52 देश** शामिल हैं।
- इस पहल का उद्देश्य **अवैध गतिविधियों से जुड़ी आपराधिक संपत्तियों** की पहचान कर बरामद करना, साथ ही लूटी गई संपत्तियों, वाहनों, वित्तीय खातों और व्यापारों का पता लगाना है।
- यह सदस्य देशों को **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण** संबंधी अपराधों से जुड़ी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

'इंटरपोल नोटिस':

- इंटरपोल नोटिस **अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट** हैं, जो सदस्य देशों की **पुलिस को अपराध-संबंधी जानकारी** साझा करने में सक्षम बनाते हैं।
- **इंटरपोल- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) विशेष नोटिस** के अलावा **8 प्रकार के नोटिस** हैं।
- **नोटिस का अनुरोध निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:**
    - किसी **सदस्य देश** का इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (भारत में **भारतपोल**)।
    - संयुक्त राष्ट्र, **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण** और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय।
- भारत ने **भारतीय अन्वेषण अभिकरण** की दक्षता बढ़ाने के लिये **'भारतपोल' पोर्टल** लॉन्च किया है।

इंटरपोल:

- **इंटरपोल** एक **वैश्विक पुलिस संगठन है** जो अपराध नियंत्रण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाता है।
- इसकी स्थापना **वर्ष 1923 में वियना में हुई थी, जिसका मुख्यालय ल्यों, फ्राँस** में है।
- भारत **वर्ष 1949 में इंटरपोल** का सदस्य बना।

//

इंटरपोल

परिचय

- **आधिकारिक नाम:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization-ICPO: INTERPOL)
- **स्थापना:** वर्ष 1923
- **सदस्य राज्य:** 195
  - भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- **मुख्यालय:** लियॉन, फ्राँस
- यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।

उद्देश्य

- यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

संरचना

- **अध्यक्ष** (इंटरपोल का प्रमुख)- 4 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **महासचिव** (दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है) - 5 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **विशेष निदेशालय - साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है।**
- **महासभा:** सर्वोच्च शासी निकाय (वर्ष में एक बार बैठक)।
  - भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की।

इंटरपोल के नोटिस

- इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)

- NCB, इंटरपोल के लिये नामित संपर्क बिंदु होते हैं।
- भारत का इंटरपोल NCB - **केंद्रीय अन्वेषण जाँच ब्यूरो (CBI)**

और पढ़ें: पारस्परिक कानूनी सहायता संधि: भारत-पोलैंड, इंटरपोल की सूचनाएँ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/interpol-s-silver-notice